फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 77 संख्याः 111 प्रभात जयपुर, रविवार 22 नवम्बर, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot



The Habit of Enough

The city forgets you the moment you change your phone number. The village keeps your file open forever

From Two Shers To A Complete Song

What is happiness?

Happiness is being grateful, finding comfort in what you have, seeing light despite cracks, and letting go of sorrow over things beyond your control

गहलोत चूक गए, पंचायत राज चुनाव की जीत का श्रेय लेने में

वे उस समय, दिल्ली में लॉबिंग में व्यस्त थे, एआईसीसी में अच्छा स्थान पाने के लिए

- वे अपने पुराने मित्रों, जैसे अम्बिका सोनी, मुकुल वासनिक आदि पर निर्भर हैं, राहुल गांधी के नजदीक पहुँचने के लिए।
- इसी संदर्भ में वे कल, पार्टी के संगठन सचिव वेणुगोपाल से मिले थे।
- आज सुबह जयपुर पहुँच कर गहलोत, कांग्रेस की पंचायत राज चुनाव में जीत का श्रेय बटोरने के प्रयास में जुटे। पर, दिल्ली में उनके इस प्रयास का खास असर नहीं हो रहा है, क्योंकि, हाईकमान यह मान रहा है कि पंचायत राज की जीत का कारण भाजपा की आंतरिक खींचतान व ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस की परम्परागत मजबूत पकड़ है।

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 नवम्बर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों दिल्ली में काफी समय बिता रहे हैं। वह एआईसीसी में कोई महत्वपूर्ण पद हासिल करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से लगातार संपर्क (लॉबिंग) कर रहे हैं।

कल इसी सिलसिले में उन्होंने केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। वो वेणुगोपाल तथा वरिष्ठ नेताओं के पद व प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहते हैं, राहुल गांधी के नज़दीक पहुँचने के लिए।

कल जयपुर में पार्टी पंचायत राज चुनावों में अपनी जीत का जश्न मना रही थी। इन चुनावों में कांग्रेस ने भाजपा को कड़ी चुनौती देते हुए बड़ी बढ़त हासिल की है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा सभी नेताओं को मिठाई खिला रहे थे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कांग्रेस विधायक दल के नेता जूली के साथ मिलकर इस जीत का श्रेय लिया।

कांग्रेस का कहना है कि पंचायत राज चुनावों के नतीजे मुख्य रूप से भाजपा की राजनीति, उसकी गलतियों और चूकों, खराब शासन व्यवस्था, पुलिस बल और प्रशासन के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल तथा राज्य चलाने के लिए पूरी तरह नौकरशाही पर निर्भर रहने के खिलाफ जनता की प्रतिक्रिया हैं।

कांग्रेस ने भाजपा के मजबूत गढ़ों में भी जीत हासिल की है और उसका प्रदर्शन सराहनीय रहा है और यह तब हुआ है जब पार्टी पूरी तरह एकजुट भी नहीं थी और न ही साझा चेहरे के साथ चुनाव लड़ रही थी।

लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में डोटासरा इस जीत का पूरा श्रेय खुद लेकर सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। वहीं, अशोक गहलोत राजस्थान से बाहर रहने के कारण ऐसा नहीं कर पाए हैं।

गहलोत ने जवाहर भवन में आयोजित उस कार्यक्रम में भी हिस्सा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नये नियमों से होगा पैरोल आवेदनों पर फैसला- हाई कोर्ट

- अदालत ने कहा कि 2021 से पहले की दोषसिद्धि पर भी नये नियम ही लागू होंगे।

जयपुर, 21 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कैदियों को पैरोल पर रिहा करने के आवेदनों को लेकर लागू होने वाले पैरोल नियमों की कानूनी स्थिति स्पष्ट की है। अदालत ने कहा कि हर स्थायी या अस्थायी पैरोल आवेदन पर साल 2021 के पैरोल नियम लागू होंगे, फिर चाहे दोषसिद्धि की तारीख कोई भी हो। अदालत ने कहा कि दोषसिद्धि, साल 1958 के पैरोल नियम के दौरान होने मात्र से अब निरस्त हो चुके इन नियमों के तहत विचार करने का कोई निहित अधिकार नहीं मिलता है। सीजे संजय के. अग्रवाल, जस्टिस अनूप कुमार और जस्टिस समीर जैन की फुल बेंच ने ये आदेश इस कानूनी बिंदु को तय करने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'राधे, राधे, कमल खिला दे'

हाल ही में मथुरा में आयोजित चिंतन शिविर में, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने सार्वजनिक मांग की कि मथुरा में अयोध्या राम मंदिर की तर्ज पर, भव्य मंदिर निर्माण हो।

- चिंतन शिविर में ऐसे भी नारे लगे, "अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी"।
- चिंतन शिविर में यह भी माँग की गई कि अगर अखिलेश यादव, वाकई में कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो वे "कार सेवा" में शामिल हों।
- अखिलेश ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा "धन" को ज्यादा प्राथमिकता देती है, "धर्म" की तुलना में, उनका इशारा राम मंदिर के निर्माण में "चंदा चोरी" की ओर था।

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 नवम्बर। राम जन्मभूमि आंदोलन जैसी राजनीतिक लहर पैदा करने की कोशिश में, भाजपा ने 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे को और जोर-शोर से उठाना शुरू कर दिया है।

मथुरा में हाल ही में आयोजित पार्टी के दो दिवसीय चिंतन शिविर में, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी सहित, कई वरिष्ठ नेताओं ने सार्वजनिक रुप से मांग की कि अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर विवादित स्थल पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए।

मौर्य ने घोषणा की, "अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है।" उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को चुनौती दी कि यदि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

शिक्षा विभाग में 337 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद भरने का रास्ता खुला

सुप्रीम कोर्ट ने 2021 की भर्ती में आर पी एस सी द्वारा पुराने नियम के अनुसार भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने के आदेश पर मोहर लगाई

- सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट के खंड पीठ के फैसले को सही ठहराया और एकल पीठ के आदेश को रद्द किया।
- परंतु यह पद आर पी एस सी द्वारा 2024 में जारी की गई मैरिट लिस्ट के आधार पर ही होंगे, जिसमें, इंटरव्यू के दौरान कैसे अंक दिए गए हैं, यही सबसे बड़ा विवाद था।
- एकल पीठ ने जब आर पी एस सी का रिकॉर्ड मंगवाया तो यह स्पष्ट हुआ कि आर पी एस सी जिन विशेषज्ञों को इंटरव्यू लेने के लिए बुला रही थी, उनके द्वारा दी गई सिफारिशें केवल एक सलाहकार या असिस्टेंट के तौर पर लिखी जा रही थीं और किस अभ्यर्थी को कैसे अंक दिए जा रहे थे, यह स्पष्ट नहीं था।

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 21 नवंबर। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में प्रकाशित चिकित्सा शिक्षा विभाग में 337 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया में राज्य सरकार को राहत दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह आर.पी.एस.सी. द्वारा 2021 में अपनायी जा रही भर्ती प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस आदेश के साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट की खंड पीठ द्वारा दिए गए फैसले को सही ठहराया है और एकल पीठ के फैसले को रद्द कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 2021 में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी असिस्टेंट प्रोफेसर के 337 पदों को भरने की प्रक्रिया पूर्ण करने के कार्य को हरी झंडी मिली है। इस मामले में विवाद तब उत्पन्न हुआ, जब त्वचा और वी. डी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त होने के लिए एक अभ्यर्थी डॉ रचिता माथुर ने अदालत में कई अन्य याचिकाकर्ताओं के साथ मिलकर याचिका पेश की कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान इंटरव्यू में दिए जा रहे मार्क्स कुल अंक के केवल 10 प्रतिशत ही हों। रचिता माथुर व अन्य याचिकाकर्ताओं का कहना था कि आर पी एस सी ने स्वयं 23 मई 2022 को इस संदर्भ में एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि सभी परीक्षाओं में इंटरव्यू में दिए गए अंक कुल अंक के केवल 10 प्रतिशत ही होंगे। याचिकाकर्ताओं का ये कहना था कि आर पी एस सी ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में दिए थे। जब इस मामले की सुनवाई एकल पीठ के समक्ष हो रही थी, तब यह तर्क भी दिया गया था कि आर पी एस सी ने इस नियम को ऐसी दो भर्ती परीक्षाओं में लागू किया था, जिनके लिए विज्ञप्ति उक्त

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कोर्ट की डिक्री से ही मिलेगा, तलाकशुदा महिला आरक्षण का लाभ

- हाई कोर्ट की फुल बैंच ने स्पष्ट किया कि भर्ती एजेंसी किसी समुदाय की परम्परा की वैधता की जाँच नहीं कर सकती।

जयपुर, 21 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने तय किया है कि अनुसूचित जनजाति की कोई महिला अपने समुदाय की परंपरा के तहत हुए तलाक के आधार पर सरकारी भर्ती में तलाकशुदा महिला कोटे के आरक्षण का लाभ नहीं ले सकती। इस कोटे का लाभ लेने के लिए सक्षम न्यायालय की ओर से जारी डिक्री जरूरी है और यह आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त होनी चाहिए। सीजे संजय के. अग्रवाल, जस्टिस समीर जैन और जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की फुल बेंच ने ये आदेश इस संबंध में भेजे गए रेफरेंस को तय करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि भर्ती एजेंसी स्वयं किसी समुदाय की परंपरा की वैधता की जांच नहीं कर सकती है और न ही यह तय कर सकती है कि उम्मीदवार का विवाह परंपरागत रीति से समाप्त हुआ है या नहीं।

फुल बेंच ने अपने आदेश में यह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इटली में स्थित सोनिया की जन्म स्थली संग्रालय बनेगी

इटली में बसे एक सिख बिज़नैसमैन ने यह सम्पत्ति 2020 में खरीदी थी, अपनी पत्नी व पुत्री के नाम पर

- परिवार ने इस मकान को किराये पर देने के प्रस्तावों को कभी स्वीकार नहीं किया।
- सिख बिज़नैसमैन, जो 1992 में होशियारपुर से इटली आए, अब वहीं बस गए हैं।
- परिवार, सोनिया गांधी से काफी प्रभावित है तथा अपने बलबूते पर, सोनिया गांधी के जन्म दिन पर काफी बड़ा उत्सव आयोजित करता आया है।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 नवम्बर। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का इटली स्थित बचपन का घर संग्रहालय में बदला जा सकता है। इस योजना के पीछे इटली में रहने वाले सिख कारोबारी सुखदेव सिंह कंग हैं। उन्होंने छह साल पहले यह संपत्ति खरीदी थी। उनका कहना है कि वे गांधी परिवार से मिलना चाहते हैं, ताकि संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए उनसे कुछ यादगार वस्तुएं हासिल कर सकें।

कंग ने फोन पर पीटीआई को बताया, इस घर का नाम "इंडियन हाउस" है और इस पर तिरंगा लगा हुआ है। घर के बाहर लगी नेम-प्लेट पर लिखा है- "सोनिया गांधी का जन्मस्थान"।

बावन वर्षीय कंग ने बताया कि इटली के विसेंज़ा प्रांत के लुसियाना में स्थित इस घर में छह कमरे हैं। यह घर भूरे पत्थर और कंक्रीट से बनी एक इमारत में है और उनके ब्रेशिया स्थित घर से लगभग एक घंटे की दूरी पर है। उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी का जन्म 9 दिसंबर 1946 को इसी घर में हुआ था और उन्होंने अपने बचपन के शुरुआती वर्ष यहीं बिताए थे।

कंग इन दिनों अमृतसर आए हुए हैं। वे 1992 में होशियारपुर के एक गांव से इटली चले गए थे और तब से वहीं रह रहे हैं। वहां बसना उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने बताया, "शुरुआत में मैंने डेयरी फार्म, कृषि क्षेत्र और एक कारखाने में काम किया।"

उन्होंने कहा, "2020 में मैंने यह घर अपनी पत्नी और बेटी के नाम पर खरीदा था। घर की देखभाल के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया गया है। यदि कोई पर्यटक यह घर देखना चाहता है, तो केयरटेकर उसकी व्यवस्था करता है।"

कंग इस संपत्ति पर हर साल लगभग 1,000 यूरो खर्च करते हैं, जिसमें संपत्ति कर भी शामिल है।

उन्होंने बताया कि वे और उनका परिवार सोनिया गांधी के परिवार के प्रशंसक हैं। वे हर साल सोनिया गांधी का जन्मदिन एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम के रूप में मनाते हैं।

खरीदने के बाद, उन्होंने इस घर को उसी पुराने रूप में बनाए रखा है। उन्हें उम्मीद है कि एक दिन वे इसे संग्रहालय का रूप दे सकेंगे। इस प्रकार, इटली आने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए एक और पर्यटन स्थल जुड़ जाएगा।

कंग ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि पूरी तरह तैयार होने के बाद, यह संग्रहालय सैकड़ों पर्यटकों को आकर्षित करेगा और स्थानीय गांव की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देगा। उनकी पत्नी और बेटी भी इस योजना से सहमत हैं।

कंग ने कहा, "मेरे परिवार ने पहले इस संपत्ति को किराए पर देने या गुरुद्वारे में बदलने के प्रस्ताव ठुकरा दिए थे, क्योंकि वे सोनिया गांधी और मैनो परिवार से जुड़े इसके ऐतिहासिक महत्व को सुरक्षित रखना चाहते थे।"

उन्होंने बताया कि वे जल्द से जल्द इस संपत्ति को आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक शानदार संग्रहालय में बदलना चाहते हैं, लेकिन परिवार से जुड़ी जानकारी न मिल पाने के कारण यह प्रोजेक्ट टलता जा रहा है। अब उनका अगला कदम सोनिया गांधी और उनके बच्चों, राहुल तथा प्रियंका से मुलाकात करना होगा, ताकि यह समझा जा सके कि प्रस्तावित संग्रहालय में किस तरह की निजी चीज़ें, तस्वीरें, दस्तावेज और अन्य यादगार वस्तुएं रखी जा सकती हैं।

उन्होंने कहा, "संग्रहालय के लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत है। ये चीजें मिलने के बाद हम उन्हें वहां प्रदर्शित करेंगे।"

पोकरण में एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण

- यह परीक्षण डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया।

पोकरण, 21 नवम्बर (कासं)। जैसलमेर की परमाणु नगरी पोकरण एक बार फिर देश की सामरिक शक्ति और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का गवाह बनी है। पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने वाहन पर तैनात एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली "भगीरा" का सफल परीक्षण किया है। इस उपलब्धि को भारतीय रक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कामयाबी माना जा रहा है।

कंपनी की ओर से शनिवार को इस सफल परीक्षण की जानकारी साझा की गई। बताया गया कि 20 नवंबर को आयोजित प्रदर्शन के दौरान चार मिसाइलों का परीक्षण किया गया। इस दौरान भारतीय सेना, सैन्य मामलों के विभाग और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ प्रतिनिधि मौजूद रहे।

'क्या आपराधिक मामला लंबित रहने के कारण अभ्यर्थी को नियुक्ति से वांछित रखा जा सकता है?'

हाई कोर्ट की सिंगल बैंच ने इस सवाल को उठाते हुए मुख्य न्यायधीश को फुल बैंच गठित कर मामले के निस्तारण करने के आदेश दिए है

- इस मामले में विवाद इसलिए उत्पन्न हुआ, क्योंकि हाई कोर्ट की दो खंड पीठों ने इसी सवाल पर दो विरोधाभासी और भिन्न निर्णय सुनाए हैं।

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 21 नवंबर। "क्या एक चयनित अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी से इसलिए वंचित किया जा सकता है, क्योंकि उसके खिलाफ एक अपराधिक मामला लंबित है?" इस सवाल को उठाते हुए राजस्थान हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने एक विवादित मामले को हाई कोर्ट की फुल बेंच के समक्ष भेजे जाने का आदेश जारी किया है। अदालत के अनुसार, उसके समक्ष कानूनी विवाद इसलिए उत्पन्न हुआ है, क्योंकि दो खंड पीठों ने इसी सवाल पर दो विरोधाभासी और भिन्न निर्णय सुनाए हैं। न्यायाधीश अनूप कुमार ढंड की एकल पीठ ने ये आदेश रजनीश कुमार बनाम राजस्थान सरकार पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। इस मामले में याचिकाकर्ता का कहना है कि उसे राजस्थान स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेस भर्ती 2023 में उत्तीर्ण होने के बावजूद राजस्थान अकाउंट्स सर्विसेज में नियुक्ति नहीं मिली, क्योंकि उसके खिलाफ एक एफ आई आर दर्ज थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसका चयन इसलिए नहीं किया गया, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल (डी ओ पी) 2019 में ही एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके तहत आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया जाएगा। याचिकाकर्ता का कहना है कि केवल एक एफ आई आर का दर्ज होना उसके चयनित होने से वंचित होने का आधार नहीं हो सकता। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता तनवीर अहमद पेश हुए थे, वहीं राज्य सरकार और डीओपी विभाग की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह और उनके सहायक अधिवक्ता यश जोशी पैरवी के लिए पेश हुए थे।

जिरह को सुनने के बाद अदालत ने कुछ सवाल किये, जैसे कि क्या एक अभ्यर्थी का चयन केवल एफ आई आर दर्ज होने के कारण खारिज किया जा सकता है, जबकि उसे अदालत ने अपराधी घोषित नहीं किया है?

क्या किसी आपराधिक मामले का लंबित होना ही सरकारी नौकरी से वंचित रहने के लिए पर्याप्त है? और क्या ऐसे अभ्यर्थी को दोषी मानना चाहिए?

कानून में जब तक दोष सिद्ध न हो जाये, तब तक निर्दोष माने जाने का नियम है तो क्या ऐसे अभ्यर्थी को तब तक पद पर नियुक्त रखा जा सकता है, जब तक वह दोषी सिद्ध न हो जाए?

और ऐसे मामलों में नियुक्ति देने वाले विभाग या संस्था के पास क्या अधिकार है कि किन नियम कायदे के अनुसार अभ्यर्थी के पक्ष या विपक्ष में फैसला दे सके।

नीट पेपर लीक मामले में 25 से रोज सुनवाई होगी

- अदालत ने 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए।

नई दिल्ली, 21 नवंबर। राउज एवेन्यू कोर्ट ने नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय करने का आदेश दिया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज अजय गुप्ता ने आरोप तय करते हुए, इस मामले पर 25 नवंबर से रोजाना सुनवाई करने का आदेश दिया। शनिवार को सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए।

कोर्ट ने भारतीय न्यायिक संहिता, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया। कोर्ट ने जिन आरोपियों के खिलाफ औपचारिक आरोप तय करने का आदेश दिया, उनमें

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)